तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय
Oil Industry Safety Directorate
ISO 9001:2008 certified

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी)

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय,(ओआईएसडी)पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक तकनीकी निदेशालय है और जिसे पेट्रोलियम उद्योग में मानक बनाने, सुरक्षा ऑडिटों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन की निगरानी रखने का दायित्व सौंपा गया है ताकि सुरक्षा स्तर बढ़ाए जा सकें और इस उद्योग में निहित जोखिम को कम किया जा सके। ओआईएसडी मानक हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से संबंधित समस्त गतिविधियों अर्थात अन्वेषण व उत्पादन,शोधन,गैस प्रोसेसिंग,भंडारण,वितरण,पर्यावरण आदि को शामिल करते हैं जिन्हें तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा स्व-नियामक आधार पर कार्यान्वित किया जाता है।

हमारा उद्देश्य तेल उद्योग सदस्यों, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों, के समन्वय से तेल व गैस इंस्टालेशनों में सुरक्षा को बढ़ाना है।

OIL INDUSTRY SAFETY DIRECTORATE (OISD)

Oil Industry Safety Directorate (OISD) is a technical directorate under the Ministry of Petroleum and Natural Gas and has been entrusted with the responsibility of formulating standards, overseeing its implementation through safety audits in petroleum industry to enhance safety levels and reduce risk inherent with this industry. OISD standards cover the entire activities pertaining to hydrocarbon sector i.e. exploration & production, refining, gas processing, storage, distribution, environment etc. which are implemented on self-regulatory basis by the Oil & Gas companies.

Our goal is to achieve enhance safety in Oil & Gas Installations in co-ordination with industry members both public and private sector.

ओआईएसडी द्वारा सुरक्षा ऑडिट : वित्त वर्ष 16-17

ओआईएसडी, सभी प्रकार की तेल व गैस इंस्टालेशनों की उनके ओआईएसडी मानकों के मुताबिक निगरानी करने के लिए आवधिक सुरक्षा ऑडिट करता है। वर्ष 2016-17 के लिए ओआईएसडी सुरक्षा ऑडिट निष्पादन नीचे निर्दिष्ट है:

Safety Audits by OISD: FY 16-17

OISD carries out periodic safety audits of all types of Oil & Gas installations to monitor their compliance with the OISD standards. OISD Safety Audit Performance for the year 2016-17 is as indicated below:

गतिविधियां / Actions	मद/ Unit	योजना/ Plan	वास्तविक/ Actuals
मूल ऑडिट / Core Audits			
रिफाइनरी एवं गैस संसाधन संयंत्र/ Refineries & Gas Processing plants	संख्या/ Nos	14	17
विपणन संस्थापनाएं Mktg. Installations	संख्या/ Nos	70	93
अन्वेषण व उत्पादन तटीय संस्थापनाएं E&P Onshore Installations	संख्या/ Nos	50	50
अन्वेषण व उत्पादन अपतटीय संस्थापनाएं E&P Offshore Installations	संख्या/ Nos	16	16
क्रॉस-कंट्री पाइपलाइनें Cross Country Pipelines	कि.मी. Kms	7000	7974
अतिरिक्त ऑडिट पाइपलाइन इंस्टालेशनें/Additional audits Pipelines Installations			
हाइड्रोकार्बन परिवहन के लिए जेट्टी पाइपलाइनें/ Jetty Pipelines for Hydrocarbon Transportation	Nos		01
पाइपलाइंस क्रूड टैंक फार्म्स/ Pipelines Crude Tank farms	Nos		01

पूर्व कमीशनिंग सुरक्षा ऑडिट(पीसीएसए)

सुरक्षित व उत्पादक पूंजीकरण सुनिश्चित करने और इसके द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति करने के लिए ओआईएसडी तेल व गैस

उद्योग में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का पूर्व कमीशनिंग सुरक्षा ऑडिट करता है। ये ऑडिट वहां आयोजित किए जाते हैं जहां ग्रीनफील्ड विस्तार और मौजूदा लोकेशनों पर मुख्य अतिरिक्त सुविधाएं भी स्थापित की जा रही हैं ताकि निर्माणावस्था पर ही ओआईएसडी मानकों के मुताबिक इन सुविधाओं का प्रारंभ से ही अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

2016-17 के दौरान उपयोक्ता उद्योग सदस्यों के अनुरोध पर इस प्रकार के 39 ऑडिट किए गए। इस संदर्भ में 18 पाइपलाइन इंस्टालेशनों को कवर करने वाली 1558 कि मी पाइपलाइन का भी ऑडिट किया गया।

गतिविधियां / Actions	**मद/ Unit**	**वास्तविक/ Actuals**
पूर्व कमीशनिंग सुरक्षा ऑडिट(पीसीएसए) 2016-17 / Pre Commissioning Safety Audits (PCSA)- 2016-17		
रिफाइनरी एवं गैस संसाधन संयंत्र/ Refineries & Gas Processing plants	संख्या/ Nos	17
विपणन संस्थापनाएं Mktg. Installations	संख्या/ Nos	21
क्रॉस-कंट्री पाइपलाइनें Cross Country Pipelines	कि.मी. Kms	1558

Pre-Commissioning Safety Audits (PCSA)

To ensure safe & productive capitalization thereby enabling uninterrupted distribution of petroleum products for the public at large, OISD carries out pre-commissioning safety audits of Greenfield projects across the Oil & Gas Industry. These audits are conducted where; green-field developments and also major additional facilities at existing locations are being done, to ensure *ab initio* compliance of these facilities to the OISD standards at the construction stage itself.

During 2016-17, 39 nos. of such audits had been conducted on the request of the user Industry members. 1558 Km of Pipeline covering eighteen pipelines installations was also audited in this context.

अपतटीय इंस्टालेशनों के लिए "प्रचालन की सहमति"

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस(अपतटीय प्रचालनों में सुरक्षा),नियमावली,2008 के कार्यान्वयन की निगरानी रखने के लिए सक्षम प्राधिकरण के तौर पर ओआईएसडी ड्रिलिंग रिगों सहित अपतटीय इंस्टालेशनों में "प्रचालन की सहमति" प्रदान करता है। वर्ष 2016-17 के दौरान 13 ड्रिलिंग प्लेटफार्मों और - 15 ड्रिलिंग रिगों में "प्रचालन की सहमति" प्रदान की गई है।

"Consent to Operate" for Offshore Installations

OISD, as the competent authority to oversee implementation of the Petroleum & Natural Gas (Safety in Offshore Operations) Rules, 2008 accords "consent to operate" to offshore installations including Drilling Rigs. 13 drilling platforms and 15 drilling rigs have been accorded "consent to operate" during the year 2016-17.

तकनीकी संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं

अद्यतन प्रौद्योगिकीय विकास पर चर्चा करने,घटना अनुभव साझा करने आदि के लिए तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा तेल उद्योग के लिए तकनीकी संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान ओआईएसडी ने निम्नलिखित संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित कीं:

(i) एचपीसीएल एलपीजी बॉलिंग प्लांट, लोनी, गाज़ियाबाद में 29 सितंबर,2016 को ऑडिटरों के लिए "माउंडिड स्टोरेज वैसल और इनका सीपी सिस्टम" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला"

29.09.2016 को लोनी में हुई एक दिवसीय संयुक्त कार्यशाला में माउंडिड एलपीजी स्टोरेज की सुरक्षा के बारे में निदेशक (एमओ-एलपीजी),ओआईएसडी और अन्य प्रतिभागी चर्चा करते हुए।
Director (MO-LPG), OISD and other participants having discussions about safety of mounded LPG Storage at the one day joint workshop held at Loni on 29.09.2016.

(ii) ओआईएसडी, नोएडा में 28-29 दिसंबर, 2016 के दौरान "अन्वेषण व उत्पादन प्रचालन में उभरते हुए जोखिमों तथा विगत में हुई दुर्घटनाओं से सीखे सबक" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला।

अन्वेषण व उत्पादन कार्यशाला के शुभारंभ पर वातावरण को शुद्ध करने के साथ-साथ दिव्य तरंगों को आमंत्रित करने के लिए कार्यकारी निदेशक, ओ आई एस डी दीपप्रज्वलित करते हुए।
Executive Director, OISD, lighting the lamp to purify the environment as well as invites Divine waves on opening day of E&P Workshop.

(iii) ओआईएसडी, नोएडा में 3 मार्च, 2017 को पीओएल टर्मिनल ऑपरेशन पर एकदिवसीय कार्यशाला।

पीओएल टर्मिनल ऑपरेशन पर एकदिवसीय कार्यशाला में एच एस्स ई भूमिका धारकों को संबोधित करते हुए कार्यकारी निदेशक, ओ आई एस डी।
ED OISD addressing the HSE Role Holders during the one day workshop on POL operations.

(iv) ओआईएसडी, नोएडा और आईओसीएल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, मदनपुरखादर में 17 मार्च, 2017 को "ऑडिटरों के लिए माउंडिड स्टोरेज वैसल और इसका सीपी सिस्टम पर दूसरी एकदिवसीय कार्यशाला"

(v) Technical Seminar / Conference / Workshops

Technical Seminars / Conferences / Workshops for the Oil industry are conducted by OISD to discuss the latest technological developments, sharing of incident experiences etc.

During the year 2016-17 OISD has organized the following seminars/workshops:

(i) One day "Workshop for Auditors for Mounded Storage Vessels and its CP System" at HPCL LPG Bottling Plant, Loni, Ghaziabad on 29th of Sep'2016.

(ii) Two days' workshop on the theme "Emerging risks in E & P operation and lessons learnt from past accidents" during 28th-29th Dec, 2016 at OISD, Noida

(iii) One day Workshop on 'POL Terminal Operations' at OISD, Noida on 03आrd Mar'2017.

(iv) 2nd one day "Workshop for Auditors for Mounded Storage Vessels and its CP System" at OISD, Noida and IOCL's LPG Bottling Plant, Madanpurkhadar, New Delhi on 17th of Mar'2017.

'तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कारों' के माध्यम से उद्योग में सुरक्षा निष्पादन को प्रोत्साहन

उद्योग सदस्यों के सुरक्षा निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन विशेष रूप से विकसित कार्यप्रणाली द्वारा किया जाता है जिसमें जुडे खतरों, वर्ष के दौरान दर्ज की गई घटनाओं ओर इंस्टालेशन की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को संज्ञान में लिया जाता है। वर्ष के दौरान असाधारण सुरक्षा निष्पादन हासिल करने वाले संगठनों को तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कारों से नवाज़ा जाता है। इसके अलावा, संबंधित इंस्टालेशनों में सुरक्षा की दिशा में असाधारण योगदान करने वाले व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित किया जाता है और इस प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्तकर्ताओं को 'तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कार' 29 नवम्बर, 2016 को नई दिल्ली में हुए भव्य समारोह में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस द्वारा प्रदान किए गए।

Encouragement of Safety Performance across the Industry thru 'Oil Industry Safety Awards'

Annual evaluation of Safety Performance of the Industry Members is done by a specially developed methodology, which takes cognizance of hazards associated, incident recorded during the year and safety management system of the installation. Organizations, achieving `exceptional safety performance` during the year, are awarded with the Oil Industry safety Awards. In addition, individuals

making exceptional contributions towards the cause of safety in their respective installations are also encouraged and presented with such awards.

'Oil Industry Safety Awards', for the year 2014-15, had been handed over to the recipients by Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Petroleum & Natural Gas in a glittering function at Delhi on 29th November,2016.

माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पे एवं प्रा गै श्री धर्मेंद्र प्रधान नई दिल्ली में आयोजित वर्ष 2014-15 के लिए तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कार समारोह के अवसर पर दर्शकों को संबोधित करते हुए।
Hon'ble MoS (I/C) PNG, Shri Dharmendra Pradhan addressing the audience at the Oil Industry Safety award ceremony for the year 2014-15, held at New Delhi.

सुरक्षा परिषद

भारत में तेल व गैस उद्योग में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन शीर्षस्थ सुरक्षा परिषद स्थापित की। तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय(ओआईएसडी) सुरक्षा परिषद की सहायता करता है,जिसके प्रमुख सचिव,पे एवं प्रा अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं और सदस्य, स्टेकहोल्डरों के संपूर्ण विस्तार-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्यमों के साथ-साथ संबद्ध विशेषज्ञ निकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुरक्षा निष्पादन की समीक्षा करने के लिए सुरक्षा परिषद वर्ष में एक बार मिलती है और 07 जून ,2016 को परिषद की 33वीं बैठक हुई थी।

बैठक के दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा की गई वे इस प्रकार हैं:

- 2015-16 में आरंभ की गई प्रमुख गतिविधियां और 2016-17 के लिए गतिविधि योजना
- एमबी लाल समिति की सिफारिशों की अनुपालन स्थिति

ओआईएसडी सुरक्षा ऑडिटों की अनुपालन स्थिति का विश्लेषण (ईएसए / एसएसए)

The Safety Council

To ensure proper implementation of the various aspects of safety in the Oil & gas Industry in India, Government of India had set up a Safety Council at the apex under the administrative control of Ministry of Petroleum & Natural Gas. The Oil Industry Safety Directorate (OISD) assists the Safety Council, which is headed by Secretary, P&NG as Chairman and members represent the entire spectrum of stakeholders – PSU, Pvt. Sector & JVs – as well as relevant expert bodies. To review the safety performance, the Safety Council meets once a year and 33rd meeting of the Council was held on 07th June, 2016.

Key issues discussed & reviewed during the meeting are as under:

- Major activities undertaken in 2015-16 & Activity plan for 2016-17
- Compliance status of MB Lal Committee recommendations
- Analysis of OISD Safety Audits Compliance status (ESA/SSA)

श्री के डी त्रिपाठी, सचिव, पे एवं प्रा गै मं और और अध्यक्ष सुरक्षा परिषद, 07 जून 2016 को शास्त्री भवन, नई दिल्ली में 33 वीं सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए
Shri KD Tripathi, Secretary, MoP&NG, and Chairman Safety Council chairing the 33rd Safety Council meeting on 07th June, 2016 at Shastri Bhavan, New Delhi

सुरक्षा मानकों का विकास

ओआईएसडी सहभागिता प्रक्रिया के माध्यम से तेल व गैस क्षेत्र के लिए मानक/मार्गनिर्देश/अनुशंसित सिफारिशें विकसित करता है जिसमें सभी स्टेकहोल्डरों(बड़े पैमाने पर जनता सहित) को शामिल किया जाता है, प्रतिनिधियों के

अनुभवों का लाभ उठाते हुए अंतर राष्ट्रीय मानकों से जानकारी लेकर उन्हें भारतीय स्थितियों के मुताबिक अनुकूल बनाया जाता है। इन मानकों में इनबिल्ट डिज़ाइन सुरक्षा,परिसंपत्ति विश्वसनीयता और पेट्रोलियम के उत्पादन,प्रोसेसिंग,भंडारण व परिवहन के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रचालन पद्धतियां शामिल हैं। नए मानकों को विकसित करने की आवश्यकता का पता लगाने, अद्यतन प्रौद्योगिकीय विकासों के साथ-साथ मौजूद वर्तमान अनुभवों को शामिल करने के लिए मौजूदा मानकों को अपडेट करने/संशोधित करने के लिए ओआईएसडी मानकों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। आज की तारीख तक तेल उद्योग के लिए ओआईएसडी ने 120 तकनीकी सुरक्षा मानक विकसित किए हैं। इनमें 08 मानकों को पेट्रोलियम नियमावली और गैस सिलेंडर नियमावली के सांविधिक प्रवधानों में शामिल भी कर लिया गया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, ओआईएसडी ने 8 मौजूदा मानकों को संशोधित/परिवर्तित किया है। इन मानकों, उनके संशोधन की मौजूदा प्रक्रिया का पालन करने के बाद, 6 जनवरी, 2017 को सुरक्षा परिषद द्वारा 52 वीं संचालन समिति की बैठक में अंगीकार करने के लिए रखा जाएगा।

Development of Safety Standards

OISD develops Standards / Guidelines / Recommended Practices for the oil and gas sector thru a participative process involving all the stakeholders (including the public at large), drawing inputs from international standards and adapting them to Indian conditions by leveraging the experience of the constituents. These standards cover inbuilt design safety, asset integrity and best operating practices in the field of production, processing, storage and transport of petroleum. OISD standards are reviewed periodically to ascertain needs of developing new standards, updating / amending existing standards to incorporate the latest technological developments as well as current experiences on the ground. As on date, OISD has developed 120 technical safety standards for the oil industry. 11 of these standards had also been included in statutory provisions of Petroleum Rules and Gas Cylinder Rules.

During the year 2016-17, OISD has revised/ amended 08 Numbers of the existing standards. These standards, after following the extant process of their revision, shall be put up for adoption in 52nd Steering Committee meeting on 6th Jan, 2017 followed by Safety Council.

घटना जांच व विश्लेषण

ओआईएसडी दुर्घटना के मूल कारण का विश्लेषण करने के लिए मुख्य घटनाओं (गंभीरता/क्षति के आधार पर) की जांच के साथ-साथ जांच में भाग लेता है। तेल उद्योग की घटनाओं का एक डेटा बैंक बनाकर रखा जाता है और रुझानों,सरोकार के क्षेत्रों और सुधारात्मक कार्रवाई का मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषण किया जाता है। इन्हें उसी समय सुरक्षा अलर्टों,परामर्शी नोटों,कार्यशालाओं,प्रशिक्षण कार्यक्रमों,वैबसाइट लिंकों आदि के माध्यम से उद्योग को प्रसारित किया जाता है। 2016 -17 के दौरान ओआईएसडी द्वारा 04 बड़ी घटनाओं की जांच की गई।

Incident Investigation & Analysis

OISD investigates as well as participates in investigation of major incidents (depending upon the severity/damage) to analyze root cause of the incident. A databank of incidents of the oil industry is maintained and analyzed to assess trends, areas of concern and required corrective action. These are then disseminated to the industry through safety alerts, advisory notes, workshops, training programs, website links etc. During 2016-17, 04 numbers of major incidents were investigated by OISD.

अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

संचालन समिति की 52 वीं बैठक

ओआईएसडी, नोएडा में तेल एवं गैस उद्योग (प्रिंसिपल पैनलिस्ट्स) के प्रतिनिधियों के साथ 6 जनवरी, 2017 को आयोजित संचालन समिति की 52वीं बैठक हुई। बैठक के दौरान चर्चा किए गए कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

- नए/संशोधित/ओआईएसडी मानकों को अपनाना
- सभी क्षेत्रों - अन्वे व उत्पा,रिफ़ा और जीपीपी, पाइपलाइन और मार्केटिंग समूह के वर्ष 2016-17 के लिए वास्तविक की तुलना में ओआईएसडी की ईएसए योजना
- पिछले तीन सालों के लिए घटना विश्लेषण और सिफारिशों के कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा।
- सामान्य रेलवे साइडिंग से संबंधित सुरक्षा मुद्दे

- आईओसीएल हजीरा टर्मिनल फायर और टाटीपाका में गेल पाइपलाइन की प्रमुख घटनाओं की जांच समिति की रिपोर्टों की सिफारिशों की अनुपालन स्थिति।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उद्योग के लिए सुरक्षा नियामक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति और बिभिन्न विशेषज्ञ समितियों की सिफ़ारिशों के अनुरूप ओआईएसडी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सेफ़्टी बोर्ड बिल का मसौदा तैयार किया है। बिल का उद्देश्य देश में समस्त पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग में सुरक्षा संबंधी विनियमों को एक छत्र के नीचे लाने वाला संगठन बनाना है।

बिल के पास होने पर देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग में सुरक्षा संबंधी वैधानिक तंत्र के विखंडन से बचा जा सकेगा और इस उद्योग की सुरक्षा संबंधी मामलों को देखने के लिए तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ आई एस डी) विधि द्वारा स्थापित एकमात्र एजेंसी होगी।

बिल सचिवों की समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है। वर्तमान में बिल सचिवों की समिति के विचाराधीन है।

एमबी लाल समिति की सिफ़ारिशों का मानीटरन

समस्त तेल और गैस क्षेत्र में एम बी लाल समिति की सिफ़ारिशों एवम ओआईएसडी-116 एवं 117 के अनुपालन की ओआईएसडी तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सघन मानीटरन और समीक्षा की जा रही है। इस प्रकार की नियमित समीक्षा बैठकों के परिणाम-स्वरूप सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मदों को लागू करने की गति में महत्वपूर्ण तेजी आई है।

उद्योग द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले 113 सिफारिशों में से, तेल विपणन कंपनियों ने पहले ही 112 को लागू कर दिया है और देश में इमर्जेंसी रेस्पोंस सेंटर (ईआरसी) की स्थापना से संबन्धित एक शेष सिफारिश कार्यान्वयन के अंतर्गत है।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) बंकरिंग के लिए सुरक्षा दिशानिर्देशों का विकास

ओआईएसडी को भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय द्वारा सलाह दी गई है कि बड़े जहाजों, कोस्टल शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) टर्मिनलों के लिए बंदरगाहों में एलएनजी बंकरिंग सुविधाओं के लिए सुरक्षा पर दिशानिर्देश तैयार किया जाएं। इस संबंध में, इन दिशानिर्देश तैयार करने के लिए ओआईएसडी ने कार्यात्मक विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है।

ओआईएसडी दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन

ओआईएसडी के विभिन्न खंडों में दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया गया है। दस्तावेज़ की प्रतिधारण नीति के अनुसार, डिजिटलीकरण के साथ-साथ, दस्तावेजों की छंटाई की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। डिजीटल दस्तावेज भारत सरकार के क्लाउड सर्वर (मेघदूत) पर अपलोड किए जा रहे हैं ताकि जानकारी पहुंच, स्टोर और रिकवरी में आसानी हो सके।

ओआईएसडी में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह

ओआईएसडी, पे एवं प्रा गै मं के तहत तकनीकी निदेशालय ने 21 जून 2016 को पूरे उत्साह के साथ दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, आंतरिक प्रतिभाओं की मदद से आयोजित कार्यक्रम के लिए सभी 35 आईओएसडी के कर्मचारी ओआईडीबी ऑडिटोरियम में प्रातः 08:30 बजे एकत्रित। यह कार्यक्रम शुभारंभ का नि-ओआईएसडी श्री वी जे राव के उद्घाटन भाषण से शुरू हुआ। उन्होंने, शरीर, आत्मा और मन के मूल स्तर पर व्यक्ति के समग्र लाभ के लिए योग का अभ्यास करने के सकारात्मक पहलुओं पर जोर दिया ।

योगा सत्र का एक दृश्य - **View of Yoga Session**

ओआईएसडी में स्वच्छ भारत मिशन

"स्वच्छ भारत" अभियान पर माननीय प्रधान मंत्री के आह्वान और मंत्रालय के निर्देश अनुपालन में, ओआईएसडी अपने सभी कार्यात्मक निर्देशकों और कर्मचारियों के साथ

वी जे राव, कार्यकारी निदेशक और संगठन के प्रमुख के नेतृत्व में, 2 अक्टूबर 2016 को सुबह 10:00 बजे ओआईडीबी भवन की 8 वीं मंजिल पर तीसरे वर्ष को यादगार बनाने के लिए मिशन का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई अपील का अनुपालन करते हुए, का नि, ओआईएसडी ने स्वच्छ भारत मिशन के महान उद्देश्य को दोहराया और 2 अक्टूबर, 14 को सभी कर्मचारियों द्वारा ली गई प्रतिज्ञा का स्मरण कराया और न केवल कार्यालय में बल्कि अपने परिवार के सदस्यों,आसपड़ोस और अपने सामाजिक दायरे के लोगों के बीच भी इस जारूकता अभियान को फैलाने पर बल दिया। ।

प्लाकार्ड/फ्लेक्स बोर्डों पर प्रदर्शित कई नारों और साफ पर्यावरण पर इसके आधारभूत फायदों पर संदेशों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत परिसर और भू-तल पर उसके चारों तरफ सफाई से की गई।

इसके के बाद, का नि ने स्वच्छ कार्य माहौल के लिए कार्यालय में स्थापित बेंचमार्किंग प्रक्रिया की समीक्षा की और इसकी पोषणीयता पर बल दिया। वरिष्ठ सदस्यों द्वारा सभी शौचालयों, पेंट्री के साथ-साथ स्टोर और बिजली के पैनल के कमरों का दौरा किया गया ताकि सफाई और स्वच्छता की स्थिति का पता लगाया जा सके।

सभी कर्मचारियों ने पूरे मनोयोग से कार्यक्रम में भाग लिया और अपने कार्यालय स्थान के साथ-साथ अपने आस-पास के स्थान को पूरी तरह से स्वच्छ रखकर आगे बढ़ने और मिशन के एक प्रभावी प्रचारक बनने की

प्री-कमीशनिंग सुरक्षा ऑडिट के लिए अग्रिम टैरिफ का भुगतान - उत्पादकता में वृद्धि के लिए एक उपाय

इससे पहले, पीसीएसए के लिए शुल्क लेने के लिए, ओआईएसडी और संबंधित तेल कंपनियों के पत्राचार, क्रेडिट, डेबिट और मिलान पर भारी संख्या में मानव घंटे बरबाद हो जाते थे। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए और कठोर अनुवर्ती कार्रवाई से बचने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि आवेदक कंपनियां आवेदन प्रस्तुत करने से पहले ओआईएसडी को पीसीएसए के लिए प्रारंभिक भुगतान करेंगी, और पीसीएसए ऑनलाइन अनुरोध फॉर्म में उसी के लिए लेनदेन विवरण दर्ज करेंगे। पीसीएसए के लिए प्रारंभिक भुगतान लेने की यह प्रणाली 1 अगस्त, 2016 से काम कर रही है।

कैशलेस लेनदेन

ओआईएसडी ने अप्रैल 16 से ही कैशलेस लेनदेन शुरू किया, और वर्तमान में कर्मचारियों/विक्रेताओं आदि के लिए सभी वित्तीय लेनदेन बैंकिंग सिस्टम और इंटरनेट बैंकिंग (एनईएफटी/आरटीजीएस) के माध्यम से हो रहे हैं।

Other Major Activities

52nd Steering Committee meeting

52nd Steering Committee meeting held on 6th Jan, 2017 with representatives from Oil & Gas industry (Principal Panelists) at OISD, Noida. Some of the major points discussed during the meeting are as under:

- Adoption of New/ Revised/ Amended OISD Standards
- OISD's ESA Plan vis-à-vis Actual for the year 2016-17 of all sectors – E&P, Ref & GPP, Pipeline and Marketing groups
- Review of implementation status of long pending critical ESA/SSA recommendations
- Incident analysis for the last three years and review of implementation status of recommendations.
- Safety issues related to Common Railway Siding.
- Compliance status of recommendations of investigation committee reports of major incidents at IOCL Hazira Terminal fire and GAIL pipeline incident at Tatipaka.

Safety Regulator for Petroleum & Natural Gas industry

In line with the recommendations of Parliamentary Standing Committee on Petroleum & NG and various expert committees, OISD has developed the draft Petroleum & Natural Gas Safety Board Bill. The bill aims at creating an Umbrella Organization for regulation of Safety in the entire Petroleum & Natural Gas Industry in the country.

With the passage of the Bill, the existing fragmentation in Statutory Set-Up of Overseeing Safety in Petroleum and Natural Gas Industry in the country shall be avoided and; in the matters related to safety in this Industry, the Oil Industry Safety Directorate (OISD), as a single agency would be conferred with statutory status.

The bill has been duly processed for consideration at the Committee of Secretaries (CoS) and at present the Bill is under consideration of CoS.

Monitoring of MB Lal Committee Recommendations

OISD and MoP&NG continue to vigorously monitor & review the implementation status of MB Lal and OISD-116 & 117 compliances with the entire Oil & Gas. Such regular review meetings have helped to enhance the pace of execution of safety critical items significantly.

Out of 113 recommendations which were to be implemented by the Industry, OMCs have already implemented 112 recommendations; and the remaining one recommendation about setting up of the Emergency Response Centre (ERC) in the country, is under implementation.

Development of Safety Guidelines for Liquefied Natural Gas (LNG) Bunkering

OISD has been advised by the Ministry of Shipping, Government of India to formulate a 'Guidelines on Safety for LNG Bunkering Facilities at Ports, for Large Ships, Coastal Shipping and Inland Water Transport (IWT) Terminals'. In this regard, OISD has set up a Committee of Functional Experts for framing these Guidelines.

Digitization of OISD documents.

Digitization of documents has been taken up in various sections of OISD. Along with digitization, weeding out of documents, as per document retention policy, is also been undertaken. The digitized documents are being uploaded on cloud server (Meghdoot) of Govt. of India so as to ease access, store & recovery of information.

Second (2nd) International Yoga Day celebration at OISD

OISD, the Technical Directorate under MOP& NG celebrated the 2nd International Yoga Day on 21st June 2016 with full enthusiasm. To make the event successful, all the 35 OISDians assembled at OIDB Auditorium at 08:30 Hrs for the program conducted with the help of in-house talents. The program commenced with the inaugural speech by ED-OISD Shri. V.J. Rao, when he emphasised the positive aspects of practicing Yoga for the overall benefit of individuals, at the very basic level of Body, Soul and Mind.

Swachh Bharat (Clean India) Mission in OISD

Pursuant to the Hon'ble Prime Minister's call on "Swachh Bharat" campaign and directive from the Ministry, OISD along with its all functional directors and employees under the leadership of Sh. VJ Rao, Executive Director and Head of the Organization, assembled at 8th floor OIDB Bhavan on 2nd October, 2016 at 10:00 am to commemorate the 3rd year of celebration of the mission.

Complying with the appeal made by our Hon'ble Prime Minister, ED OISD reiterated the noble objective of the Clean India Mission and reminded all employees on the pledge taken by all of us on 2nd October '14 and stress upon owing up the drive and spread the awareness among others not in office alone but also among their family members, neighborhood and at their social circles.

The program was kick started by cleaning the building premises and its surrounding at the Ground floor, displaying of placards/ flex boards showing several slogans and messages on clean environment and its ultimate benefits.

Subsequent to above, ED took a review of the benchmarking process set in the office for clean working environment and stressed upon its sustainability. Visit to all toilets, Pantry as well as Store and electrical panel rooms were also taken by the senior members to ascertain the cleanliness and hygiene status.

All the employees wholeheartedly participated in the program and vowed to take it forward by keeping their own office space as well as surrounding at their living place absolutely clean and be an effective campaigner of the Mission.

Payment of advance tariff towards Pre-Commissioning Safety Audits – A productivity enhancement measure

Earlier, to collect the charges for PCSA, the large number of man-hours was wasted at OISD & respective Oil companies towards correspondence, credits, debits and reconciliation. To simplify the process & to avoid rigorous follow-ups, it was decided that the applicant companies shall make initial payment for PCSA to OISD prior to submitting the

application, and will enter transaction details for the same in the PCSA online request form. This system of taking initial payment for PCSA is in place from 1st August, 2016.

Cashless Transaction

OISD started Cashless Transaction since April '16 itself, and presently all financial transactions to employees/ vendors etc. are taking place through Banking System and Internet Banking (NEFT/ RTGS).